फर्द अहकाम

बंसी बनाम कन्हैया

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 95 / 2024 दावा

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/10/25 हाजरान	अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में दि० 3/7/24 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है एवं खसरा नंबर 562 का रकबा 0.05 हे० बढ़ाकर यानि खसरा नंबर 562 का रकबा 0.47 हे० दुरुस्त किये जाने के आदेश किये गये हैं एवं अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया है। अब चूंकि स्वयं वकील वादी एवं वादी ने प्रार्थना पत्र 151, 152 CPC पेश कर आ०ख०नं० 562 का रकबा 0.47 हे० के बजाय 0.4675 हे० ही दुरुस्त किये जाने हेतु सहमति दी है। स्वयं वादी के द्वारा सहमति दिये जाने एवं रकबा 0.47 हे० के बजाय 0.4675 हे० का अनुतोष चाहने से, जो कि बढ़ाये गये रकबे से कम होने से सुना वकील वादी। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151, 152 CPC स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 3/7/24 में आ०ख०नं० 562 रकबा 0.47 हे० के बजाय 0.4675 हे० दुरुस्त किया जावे। उक्त संशोधन बाबत हमराही से किया जावे व नोट का अंकन किया जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

सीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
संख्या :– वाद संख्या 95/2024

शीर्षक

1. बन्शी पुत्र नारायण
2. मुलचन्द उर्फ मुरली पुत्र नारायण
3. मन्नी देवी पुत्री नारायण
4. गीता देवी पुत्री नारायण
5. हेमलता देवी पुत्री नारायण

समस्त वयस्क जाति मीणा निवासी घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

1. कन्हैया पुत्र मंगला
2. मीरा देवी पुत्री गिरधारीलाल
3. राजेन्द्र पुत्र गिरधारीलाल
4. सुरेश पुत्र गिरधारीलाल

समस्त वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

5. उपपंजीयक शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत् दुरूस्ती नक्शा ट्रेस घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए

निर्णय

दिनांक :– 3/7/25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :– हाल आराजी खसरा नंबर 562 रकबा 0.42 है0, 584 रकबा 0.35 है0, 587 रकबा 0.16 है0, 593 रकबा 0.25 है0, कुल किता 04 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम घासीपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण की माता भगोती का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 125 संलग्न वाद पत्र पेश है। हाल आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 0.41 है, 563 रकबा 0. 27 है, 564 रकबा 0.25 है, कुल किता 03

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

ग 0.93 है. वाके ग्राम घारीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी ान खातेदारी में प्रतिवादी स 01 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स 02 लगायत 04 क का 1/5, 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबदी में दर्ज है। खातेदार प्रेम देवी पत्नी घारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी स 2 लगायत 4 है ाबदी सम्वत् 2074–2077 खाता स 109 संलग्न वादपत्र पेश है। जिमन न 01 वादपत्र दर्ज भूमि हाल खसरा न 562 साबिक खसरा न. 489 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 488 बा 6 बिस्वा से हाल सेटलमेंट में मिलान क्षेत्रफल में कायम किये गये है। जिमन नं. 02 दपत्र में दर्ज भूमि हाल खसरा नं. 561 साबिक खसरा नं. 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा तथा हाल खसरा नं. 563, 564 साबिक खसरा नं. 492 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा से हाल टलमेंट में मिलान क्षेत्रफल में कायम किये गये है। जिमन नं. 01 वादपत्र में दर्ज भूमि ल खसरा न 562/0.42 है का रकबा हाल सेटलमेंट मे साबिक रकबे के मुकाबले 0.05 भूमि कम दर्ज किया गया है हाल खसरा नं. 562 साबिक खसरा नं 489 रकबा 1 बीघा ? बिस्वा, 488 रकबा 6 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा को मेट्रिक प्रणाली में कन्वर्ट रने पर 0.4750 है भूमि बनती है जबकि हाल सेटलमेंट में उक्त साबिक खसरा नं. 39,488 में बने हाल खसरा न 562 का रकबा 0.42 है ही दर्ज किया गया है जो साबिक ; मुकाबले 0.05 है. कम होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। हाल सेटलमेंट मे धिकारियों व कर्मचारियों की गलती से साबिक खसरा न 489, 488 का 0.05 है रकबा मीप स्थित साबिक खसरा न. 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से बने हाल खसरा न. 561 कबा 0.41 है में गलत रूप से दर्ज हो गया है उक्त साबिक खसरा न 490 के साबिक रकबे 1 बीघा 9 बिस्वा को मेट्रिक प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.3625 है भूमि बनती है जबकि हाल सेटलमेंट में उक्त खसरा नं 490 से बने हाल खसरा नं 561 का रकबा 0.41 है दर्ज किया गया है जो साबिक के मुकाबले 0.05 है0 ज्यादा दर्ज होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त साबिक खसरा नं. 490, 489, 488 के साबिक के मुकाबले हाल सेटलमेन्ट में कायम किये गये हाल खसरा नं. 562, 561, 563 564 का रकबा साबिक नक्शा व हाल नक्शा की तुलना करने पर भी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में वादीगण की करीब 0.05 है. भूमि शामिल होना प्रकट होता है इसलिए वादीगण की भूमि हाल खसरा नं. 562 रकबा 0.42 है का रकबा 0.05 है बढाया जाकर तथा प्रतिवादीगण की भूमि हाल खसरा नं 561 रकबा 0.41 है का रकबा 0.05 है कम किया जाकर हाल नक्शा भी साबिक नक्शे के मुताबिक दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत व आवश्यक है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के लिए कहा है किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे है। अब जमीनों की कीमतों में बढोतरी हो जाने से प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी व लालच पैदा हो जाने से प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वादीगण को हाल खसरा न 562 की राजस्व रिकॉर्ड में कम दर्ज 0.05 है. भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने को आमादा फिसाद

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

भी 10-15 दिन पूर्व जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने ए कहा तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने ए स्पष्ट मना कर दिया तथा एलानियां धमकी दी है कि वादीगण को उनके कब्जे मि से जबरन बेदखल करके रहेंगे तथा राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि का व्यक्तियों को बेचान कर देंगे तथा मौके पर निर्माण कार्य करवा देंगे तुम्हें जो करना कर लेना। इस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ उक्त वादपत्र लय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मन्सूबों में सफल हो जावेंगे तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकेगी । वादीगण को अपूर्णीय क्षति त होगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी इसलिए वादीगण की दारी भूमि के रकबे की दुरूस्ती साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक किया जाना न्यायसंगत व श्यक है।

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के हाल खसरा नं. 562 रकबा 0.42 है. वाके घासीपुरा का रकबा साबिक खसरा नं. 489 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व 488 रकबा 6 ा के मुताबिक 0.05 है. बढाकर हाल खसरा नं. 562 का रकबा 0.47 है. किया जाकर वादीगण के हाल खसरा नं. 561 रकबा 0.41 है. वाकै ग्राम घासीपुरा का रकबा साबिक रा नं. 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के मुताबिक 0.05 है. कम कर हाल खसरा नं. 561 रकबा 0.36 है दुरूस्त कर के राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामत करवाया जावे तथा हाल नं. 561, 562 का हाल नक्शा साबिक के मुताबिक दुरूस्त करवाया जावे साथ ही ...गण को हमेशा-हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ... की भूमि हाल खसरा नं. 562 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई ...लंदाजी पैदा नहीं करें वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग भोग करने देंवे, जबरन बेदखल नहीं करें तथा किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये ये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 बाद तामिल व बाद सूचना के उपस्थित हीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने क्ष्यवादी में बंशी पुत्र नारायण, दुलाराम पुत्र सुवालाल, रामजीलाल पुत्र कजोडमल के पथ-पत्र पेश किये एवं बयान करवाये गये। प्रकरण में प्रदर्श कायम किये गये जो निम्न कार है :- प्रदर्श संख्या - 1 (खाता संख्या 125 जमाबंदी संवत 2074-2077), प्रदर्श ख्या - 2 (खाता संख्या 109 जमाबंदी संवत 2074-2077), प्रदर्श संख्या - 3 (आंशिक क्शा ट्रेस), प्रदर्श संख्या - 4 (मिलान क्षेत्रफल), प्रदर्श संख्या - 5 (लट्ठा नक्शा ट्रेस), दर्श संख्या - 6 लगायत 8 (जमाबंदी संवत 2008 - 2027)।

वकील वादी ने अपने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने वाद-पत्र की ाईद की एवं दस्तावेजात, प्रदर्श संख्या 1 लगायत 8 एवं प्रकरण में प्रस्तुत मुख्य परीक्षण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

ापथ-पत्र, व साक्ष्यवादी जिरह का हवाला देते हुए कथन किया कि जिमन नं. 01 त्र में दर्ज भूमि हाल खसरा न 562/0.42 है का रकबा हाल सेटलमेंट मे साबिक के मुकाबले 0.05 है भूमि कम दर्ज किया गया है हाल खसरा नं. 562 साबिक खसरा 89 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 488 रकबा 6 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा को क प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.4750 है भूमि बनती है जबकि हाल सेटलमेंट में उक्त ाक खसरा नं. 489,488 में बने हाल खसरा न 562 का रकबा 0.42 है ही दर्ज किया है जो साबिक के मुकाबले 0.05 है. कम होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। हाल लमेंट मे अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से साबिक खसरा न 489, 488 का 0.05 कबा समीप स्थित साबिक खसरा न. 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से बने हाल खसरा 561 रकबा 0.41 है में गलत रूप से दर्ज हो गया है उक्त साबिक खसरा न 490 के बेक रकबे 1 बीघा 9 बिस्वा को मेट्रिक प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.3625 है भूमि ती है जबकि हाल सेटलमेंट में उक्त खसरा नं 490 से बने हाल खसरा नं 561 का बा 0.41 है0 दर्ज किया गया है जो साबिक के मुकाबले 0.05 है0 ज्यादा दर्ज होने से रूस्त किये जाने योग्य है। उक्त साबिक खसरा नं. 490, 489, 488 के साबिक के ाबले हाल सेटलमेन्ट में कायम किये गये हाल खसरा नं. 562, 561, 563 564 का बा साबिक नक्शा व हाल नक्शा की तुलना करने पर भी प्रतिवादीगण की खातेदारी े में वादीगण की करीब 0.05 है. भूमि शामिल होना प्रकट होता है इसलिए वादीगण की े हाल खसरा नं. 562 रकबा 0.42 है का रकबा 0.05 है बढाया जाकर तथा तिवादीगण की भूमि हाल खसरा नं 561 रकबा 0.41 है का रकबा 0.05 है कम किया कर हाल नक्शा भी साबिक नक्शे के मुताबिक दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत व वश्यक है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, वली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श संख्या 1 लगायत 8, मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र व क्ष्यवादी जिरह का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि हाल आराजी सरा नंबर 562 साबिक खसरा नंबर 489 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 488 रकबा 6 बिस्वा वं हाल आराजी खसरा नंबर 561 साबिक खसरा नंबर 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से था हाल खसरा नंबर 563, 564 साबिक खसरा नंबर 492 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा से ाल सेटलमेंट में मिलान क्षेत्रफल में कायम किये गये है। हाल आराजी खसरा नंबर 562 ाबिक खसरा नंबर 489 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा , 488 रकबा 6 बिस्वा कुल रकबा 1 ीघा 18 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.4750 है0 भूमि बनती है जबकि ाल सेटलमेंट में उक्त साबिक खसरा नंबर 489, 488 में बने हाल खसरा नंबर 562 का कबा 0.42 है0 दर्ज किया गया है जो साबिक के मुकाबले 0.05 है0 राजस्व रिकॉर्ड कम दर्ज होना दस्तावेजात से साबित होता है। साथ ही हाल आराजी खसरा नंबर 561 ाबिक खसरा नबर 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, जो कि हाल आराजी खसरा नंबर 562

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

शपथ–पत्र, व साक्ष्यवादी जिरह का हवाला देते हुए कथन किया कि जिमन नं. 01 पत्र में दर्ज भूमि हाल खसरा न 562/0.42 है का रकबा हाल सेटलमेंट मे साबिक के मुकाबले 0.05 है भूमि कम दर्ज किया गया है हाल खसरा नं. 562 साबिक खसरा 89 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 488 रकबा 6 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा को क प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.4750 है भूमि बनती है जबकि हाल सेटलमेंट में उक्त क खसरा नं. 489,488 में बने हाल खसरा न 562 का रकबा 0.42 है ही दर्ज किया है जो साबिक के मुकाबले 0.05 है. कम होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। हाल लमेंट मे अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से साबिक खसरा न 489, 488 का 0.05 कबा समीप स्थित साबिक खसरा न. 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से बने हाल खसरा 561 रकबा 0.41 है में गलत रूप से दर्ज हो गया है उक्त साबिक खसरा न 490 के बेक रकबे 1 बीघा 9 बिस्वा को मेट्रिक प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.3625 है भूमि ती है जबकि हाल सेटलमेंट में उक्त खसरा नं 490 से बने हाल खसरा नं 561 का बा 0.41 है0 दर्ज किया गया है जो साबिक के मुकाबले 0.05 है0 ज्यादा दर्ज होने से स्त किये जाने योग्य है। उक्त साबिक खसरा नं. 490, 489, 488 के साबिक के बले हाल सेटलमेन्ट में कायम किये गये हाल खसरा नं. 562, 561, 563 564 का बा साबिक नक्शा व हाल नक्शा की तुलना करने पर भी प्रतिवादीगण की खातेदारी ने में वादीगण की करीब 0.05 है. भूमि शामिल होना प्रकट होता है इसलिए वादीगण की ने हाल खसरा नं. 562 रकबा 0.42 है का रकबा 0.05 है बढाया जाकर तथा तिवादीगण की भूमि हाल खसरा नं 561 रकबा 0.41 है का रकबा 0.05 है कम किया कर हाल नक्शा भी साबिक नक्शे के मुताबिक दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत व वश्यक है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, वली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श संख्या 1 लगायत 8, मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र व क्ष्यवादी जिरह का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि हाल आराजी सरा नंबर 562 साबिक खसरा नंबर 489 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 488 रकबा 6 बिस्वा वं हाल आराजी खसरा नंबर 561 साबिक खसरा नंबर 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से था हाल खसरा नंबर 563, 564 साबिक खसरा नंबर 492 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा से ाल सेटलमेंट में मिलान क्षेत्रफल में कायम किये गये है। हाल आराजी खसरा नंबर 562 ाबिक खसरा नंबर 489 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा , 488 रकबा 6 बिस्वा कुल रकबा 1 ीघा 18 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.4750 है0 भूमि बनती है जबकि ाल सेटलमेंट में उक्त साबिक खसरा नंबर 489, 488 में बने हाल खसरा नंबर 562 का कबा 0.42 है0 दर्ज किया गया है जो साबिक के मुकाबले 0.05 है0 राजस्व रिकॉर्ड कम दर्ज होना दस्तावेजात से साबित होता है। साथ ही हाल आराजी खसरा नंबर 561 साबिक खसरा नंबर 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, जो कि हाल आराजी खसरा नंबर 562

सहायक कलक्टर
आमेर (जिला-जयपुर) राज.

समीप स्थित है, को मैट्रिक प्रणाली में कन्वर्ट करने पर 0.3625 है0 भूमि बनती है के हाल सेटलमेंट में उक्त खसरा नंबर 490 से बने हाल खसरा नंबर 561 का रकबा है0 दर्ज किया गया है जो साबिक के मुकाबले 0.0475 है0 राजस्व रिकॉर्ड में ज्यादा होना दस्तावेजात से साबित होता है। वकील वादी की एकपक्षीय बहस से न्यायालय त है।

अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं एकपक्षीय बहस एव पत्रावली में लब्ध दस्तावेजात एवं मुख्य परीक्षण के शपथ-पत्र, साक्ष्यवादी गवाह के बयान एवं प्रदर्श द्वारा प्रस्तुत वाद को साबित करने में सफल रहने से वादी का वाद डिक्री किया उचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श, साक्ष्य शपथ–पत्र बयानात के आधार पर एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाता है एवं हाल खसरा नंबर रकबा 0.42 है0 वाकै ग्राम घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का रकबा बिक खसरा नंबर 489 1 बीघा 12 बिस्वा व 488 रकबा 6 बिस्वा के मुताबिक 0.05 है0 कर हाल खसरा नंबर 562 का रकबा 0.47 (0.4675 है0) है0 किया जाकर प्रतिवादीगण के हाल रा नंबर 561 रकबा 0.41 है0 वाकै ग्राम घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर रकबा साबिक साबिक खसरा नंबर 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के मुताबिक 0.0475 कम कर हाल खसरा नंबर 561 का रकबा 0.3625 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर आराजी खसरा नंबर 561, 562 का हाल नक्शा साबिक के मुताबिक दुरूस्त किये ने के आदेश दिये जाते है। जमाबंदी में शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार, सील शाहपुरा को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती/अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की त्त खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग, काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें एवं तिपूर्वक काश्त करने देवें। इस आशय की डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर खिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Note:- न्यायालय आदेश दि० 15/10/25 की अनुपालना में आ०ख०नं० 562 का रकबा 0.47 है० के बजाय 0.4675 है० दुरुस्त किया जाता है। (0.4675)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

सीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
संख्या :– वाद संख्या 95/2024

शीर्षक

बन्शी पुत्र नारायण
मुलचन्द उर्फ मुरली पुत्र नारायण
मन्नी देवी पुत्री नारायण
गीता देवी पुत्री नारायण
हेमलता देवी पुत्री नारायण
समस्त वयस्क जाति मीणा निवासी घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

कन्हैया पुत्र मंगला
मीरा देवी पुत्री गिरधारीलाल
राजेन्द्र पुत्र गिरधारीलाल
सुरेश पुत्र गिरधारीलाल
समस्त वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
उपपंजीयक शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

द बाबत् दुरूस्ती नक्शा ट्रेस घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक :– 3/7/2025

अतः वादीगण का वाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श, साक्ष्य शपथ–पत्र बयानात के आधार पर एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाता है एवं हाल खसरा नंबर रकबा 0.42 है0 वाकै ग्राम घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का रकबा क खसरा नंबर 489 1 बीघा 12 बिस्वा व 488 रकबा 6 बिस्वा के मुताबिक 0.05 है0 कर हाल खसरा नंबर 562 का रकबा 0.47 (0.4675 है0) है0 किया जाकर प्रतिवादीगण के हाल रा नंबर 561 रकबा 0.41 है0 वाकै ग्राम घासीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर रकबा साबिक साबिक खसरा नंबर 490 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के मुताबिक 0.0475

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

कम कर हाल खसरा नंबर 561 का रकबा 0.3625 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर आराजी खसरा नंबर 561, 562 का हाल नक्शा साबिक के मुताबिक दुरूस्त किये के आदेश दिये जाते है। जमाबंदी में शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार, ील शाहपुरा को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती/अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की त खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग, काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें एवं तिपूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज तारीख 3/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा ाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला–जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

द के खर्चे

ी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	>	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	>
ड		जोड	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Note :- न्यायालय आदेश दि. 15/10/25 की अनुपालना में आ०ख० नं० 562 का रकबा 0.47 है० के बजाय 0.4675 है० दुरूस्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.